

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/आर० -121/2026-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० ब्रजेश कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बिक्रमगंज, रोहतास द्वारा दिनांक-13.09.2020 से 09.09.2023 तक अध्ययन में बिताई गई अवधि को विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2), दिनांक-30.11.2011 के आलोक में असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें आंतरिक वितीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/आर० -121/2026- 1856(2) पटना, दिनांक 3/8/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रोहतास/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, बिक्रमगंज, रोहतास/जिला कोषागार पदाधिकारी, रोहतास/डा० ब्रजेश कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बिक्रमगंज, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।